प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

दाण्डिक अपील संख्या 363/2004

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायामूर्ति

हरिराम और अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: –

अभियुक्त–अपीलार्थियों हेतु, श्री डी.आर. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री बी.डी. बडगैया, विद्वान अधिवक्ता ।

राज्य हेतु, श्री जे.डी. बाजपेयी, शासकीय अधिवक्ता/अपर लोक अभियोजक ।

निर्णय

(दिनांक 30–01–2006 को उद्घोषित)

1. यह अपील दिनांक 22–11–2003 के उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई जो श्री आर.एस. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बस्तर, जगदलपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 344/2003 में पारित किया था, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत दोषसिद्ध करते हुए उन्हें 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000/– रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया था, और जुर्माने का भुगतान न करने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया था ।

2. संक्षेप में अभियोजन कहानी यह है कि अभियोक्त्री कोंदी बाई, जिसकी आयु लगभग 32 वर्ष है, वह तलाकशुदा है तथा बहरी और गूंगी है। सिरपति अस–1 अभियोक्त्री का भाई है। दिनांक 29–05–2003 को, अभियोक्त्री कोंदी बाई अपने बेटे दमरू अ.स–2 के साथ सिरपति अ.स–1 के घर गई थी। दिनांक 30–05–2003 को, सिरपति अस–1 कुछ काम से ग्राम–कुरकुरा गया था और उसकी पत्नी मूला बाई अस–3 तथा अभियोक्त्री घर पर थीं। लगभग 4 बजे शाम को, अभियोक्त्री कोंदी बाई अस–8 अपने लगभग 7 वर्षीय बेटे दमरू के साथ आम के बाग में आम तोड़ने गई थी। अपीलार्थी वहां आए और दमरू अस–2 को धमकाया, जो भाग गया। उसके बाद, अपीलार्थियों ने बारी–बारी से अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया। अभियोक्त्री घटना के 2 दिन बाद, यानी दिनांक 01–06–2003 को घर लौटी, अभियोक्त्री ने सिरपति अस–1 को उसके लौटने पर संकेतों से घटना के बारे में बताया। दमरू अस–2 ने सिरपति अस–1 को अभियुक्त–अपीलार्थियों के नाम बताए। अभियोक्त्री ने अपीलार्थियों को अपराध के कर्ता के रूप में पहचाना। सिरपति अस–1 अभियोक्त्री के साथ पुलिस थाना–कोतवाली, जगदलपुर गए जो 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है और दिनांक 02–06–2003 को रात 11 बजे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) प्रदर्श पी–2 दर्ज कराई। अभियोक्त्री को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. श्रीमती हीना अहमद, अस–10 ने दिनांक 03–06–2003 को अभियोक्त्री का परीक्षण किया लेकिन अभियोक्त्री के शरीर पर लैंगिक संभोग के कोई निशान नहीं पाए और निश्चित राय देने में असमर्थता व्यक्त की। उन्हें अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली। हाइमन फटा हुआ था जो पुराना था और सामान्य आकार का था। गर्भाशय भी सामान्य आकार का था और गुप्तांगों में कोई चोट नहीं थी। डॉ. श्री संजय बासक अ.स–9 ने दिनांक 04–06–2003 को दोनों अभियुक्त–अपीलार्थियों का परीक्षण किया और राय दी कि वे यौन संबंध बनाने में सक्षम थे। दोनों अभियुक्त/अपीलार्थियों के शरीर पर कोई बाहरी चोट या गुप्तांगों पर कोई चोट नहीं पाई गई। अन्वेषण पूरी होने के बाद, दोनों अभियुक्त–अपीलार्थियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियोग चलाया गया। दोनों अभियुक्त–अपीलार्थियों ने दोष स्वीकार नहीं किया, निर्दोषता का दावा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया और बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया । विचारण न्यायाधीश ने अभियोक्त्री और सिरपति अस–1 व दमरू अस–2 की गवाही पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थियों को कंडिका–1 (उपरोक्त) में वर्णित अनुसार दोषसिद्धि और दण्डदेश सुनाई ।

3. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डी.आर. शर्मा ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत प्रमाण की विधिक आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। यह भी तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रवेशन का बिल्कुल भी कोई साक्ष्य नहीं था। अभियोक्त्री एक बहरी और गूंगी व्यक्ति थी। उसकी गवाही दुभाषिए की मदद से दर्ज की गई थी, जिसने यह नहीं कहा कि अभियुक्त–अपीलार्थियों ने अपने लिंग को अभियोक्त्री के योनि द्वार के अंदर प्रवेश कराया था। ऐसे प्रमाण के अभाव में, बलात्कार का अपराध अभियुक्त–अपीलार्थियों के विरुद्ध स्थापित नहीं हुआ था। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में 3 दिनों की देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं था, जबकि पुलिस थाना कोतवाली 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित था। यह भी तर्क दिया गया कि मूला बाई अस–3, जो सिरपति अस–1 की पत्नी है और जिसे अभियोक्त्री ने संकेतों से घटना के बारे में सूचित किया था, ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया। दूसरी ओर, राज्य के लिए शासकीय अधिवक्ता/अपर लोक अभियोजक श्री जे.डी. बाजपेयी ने अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **कनवर पॉल एस. गिल बनाम राज्य (प्रशासन यू.टी. चंडीगढ़), ए.आई.आर. – एस.सी.डब्ल्यू. –3590 में प्रकाशित** और **पंजाब राज्य बनाम रामदेव सिंह, 2004 (2) सी.जी.एल.जे. –66 में प्रकाशित** पर दृढ़ता से भरोसा किया, यह तर्क देते हुए कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में देरी के लिए एक उचित स्पष्टीकरण था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 376(2)(छ) के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रवेश का साक्ष्य केवल एक तकनीकी औपचारिकता थी और विधिक आवश्यकता नहीं थी, और इसके विशिष्ट प्रमाण के अभाव में भी धारा 376(2)(छ) के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बलात्कार के अपराध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की शिकार होने की शिकायत करने वाली अभियोक्त्री अपराध की सह–अपराधी नहीं है और ऐसा कोई विधि का नियम नहीं है कि गवाही को भौतिक विशिष्टताओं में समर्थन के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि अभियोक्त्री के शरीर पर चोटों की अनुपस्थिति उसकी गवाही को झूठा साबित नहीं करती है क्योंकि वह एक विवाहित महिला थी और यौन संबंध की अभ्यस्त थी। इन आधारों पर, उन्होंने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया ।

4. प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद, पहला बिंदु जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत अपराध में, अभियोक्त्री के योनि द्वार के अंदर लिंग के आंशिक प्रवेश का साक्ष्य आवश्यक था या नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में "बलात्कार" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"375–बलात्संग– जो पुरुष एतस्मिन पश्चात् अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्संग करता है, यह कहा जाता है:–

पहला– उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ।

दूसरा– उस स्त्री की सम्मति के बिना ।

तीसरा– उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ।

चौथा– उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवां– उस स्त्री की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्तता या किसी संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से दिए जाने के कारण उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है; प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है ।

छठा– उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जबकि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है ।

स्पष्टीकरण– बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है । (मेरे द्वारा रेखांकित)

अपवाद– पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने **मदन गोपाल कक्काड़ बनाम नवल दुबे और अन्य, 1992–जे.एल.जे.–377 में प्रकाशित,** में यह अभिनिर्धारित किया है कि वीर्य उत्सर्जन के बिना आंशिक प्रवेश भी बलात्कार का अपराध गठित करता है। लिंग का लेबिया मेजोरा या वल्वा या पुडेंडा के भीतर आंशिक प्रवेश, वीर्य उत्सर्जन के साथ या उसके बिना, या प्रवेश का प्रयास भी विधि के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है। इसलिए, जननांगों को कोई चोट पहुंचाए बिना या वीर्य के दाग छोड़े बिना भी विधिक रूप से बलात्कार का अपराध करना बिल्कुल संभव था। इस प्रकार, आंशिक प्रवेश भी बलात्कार का अपराध गठित करता है। **कर्नाटक राज्य बनाम सुरेशबाबू पुक राज पोरल, ए.आई.आर. –1994–सर्वोच्च न्यायालय–966 में प्रकाशित,** में बलात्कार की पीड़िता का मुख्य परीक्षण के साथ–साथ प्रति–परीक्षण के दौरान भी बयान था कि अभियुक्त ने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने विशेष रूप से यह नहीं बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ वास्तव में क्या किया था। उसने केवल यह कहा था कि अभियुक्त–अपीलार्थी उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बना रहे थे। अभियोजन कहानी का समर्थन करने

वाले साक्ष्य के अभाव में कि अभियुक्त ने उसके साथ यौन संबंध बनाया था, यह माना गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का अपराध नहीं बनता है ।

5. भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत अपराध के प्रमाण के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए यह बिल्कुल आवश्यक है कि वह अभियोक्त्री के योनि द्वार के अंदर अभियुक्त–अपीलार्थी द्वारा लिंग के प्रवेश का साक्ष्य प्रस्तुत करे। अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विधि की यह आवश्यकता केवल एक तकनीकी औपचारिकता नहीं है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उद्धृत न्याय दृष्टांत वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि उद्धृत न्याय दृष्टांत के तथ्य और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह अभियोक्त्री से यह स्पष्ट करे कि “बुरा काम”, “गलत काम”, “संभोग” जैसे शब्दों का उपयोग करके उसका क्या मतलब था और क्या प्रवेश हुआ था। न्यायालय, धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के मामले में अभियोक्त्री की गवाही दर्ज करते समय केवल एक दर्शक की तरह कार्य नहीं करेगा और यांत्रिक रूप से साक्ष्य दर्ज नहीं करेगा, बल्कि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अभियोक्त्री द्वारा प्रश्नों को समझने के बाद ही उत्तर दिए गए हैं। ऐसे मामले में जहां अभियोक्त्री बहरी या गूंगी व्यक्ति है, न्यायालय को गवाह के आचरण को दर्ज करना चाहिए कि उसने “संभोग” या “बुरा काम” को इंगित करने के लिए क्या हावभाव या संकेत दिए थे। वर्तमान मामले में, धनिरम अस–5, त्रिनाथ अस–4 और मूला बाई अस–3 की गवाही से यह नहीं पता चला कि घर पहुंचने के तुरंत बाद या ग्रामीणों के सामने भी कोंदी ने यौन संबंध को इंगित करने के लिए कोई ऐसे हावभाव या संकेत दिए थे। अपने बयान की कण्डिका–1 में, कोंदी बाई ने कहा था कि अभियुक्त व्यक्तियों ने “गलत काम” किया था। "गलत काम" से उसका क्या मतलब था, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। उसने कहा कि “गलत काम” तालाब के पास किया गया था, लेकिन प्रति–परीक्षण की कण्डिका–2 में उसने कहा है कि यौन संबंध कमरे के बाहर किया गया था। कोंदी बाई अ.स–8 ने पैरा–2 में एक दुभाषिए के माध्यम से गवाही दी है कि उसे अपनी पीठ, कमर आदि पर चोटें लगी थीं और उसके शरीर से बहुत खून भी निकला था। उसने यह भी कहा कि उसकी चूड़ियां टूट गई थीं, कपड़े फटे हुए थे। हालांकि, डॉ. श्रीमती हीना अहमद अस–10 का चिकित्सकीय साक्ष्य उपरोक्त अभिकथन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की पुष्टि नहीं करता है। यह उसकी गवाही को पूरी तरह से अविश्वसनीय बनाता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य बलात्कार के अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक विधिक प्रमाण से कम है।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर आते हुए, सिरपति अ.स–1 ने कंडिका–2 में कहा कि घर लौटने के बाद अभियोक्त्री ने संकेतों से उसे बताया था कि एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया था जबकि दूसरे व्यक्ति ने बच्चे दमरू अ.स–2 को धमकाया था। इस प्रकार सिरपति अस–1 के अनुसार भी कोंदी बाई पर कोई सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ था। सिरपति अ.स–1 ने आगे कहा कि उसने दमरू से पूछा कि क्या हुआ था, जिस पर दमरू ने मोतीराम को कोंदी बाई पर बलात्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना और कहा कि दूसरे व्यक्ति हरिरम ने उसे केवल धमकाया था। इसलिए दमरू अ.स–2 की गवाही सुसंगत हो जाती है। दमरू अस–2 ने कण्डिका–2 में कहा है कि जब वह कोंदी बाई के साथ आम तोड़ने गया था, तो अभियुक्त–अपीलार्थी हरिरम ने उसकी मां को पकड़ लिया था और उसे डंडे से धमकाया था तथा उसकी मां को दूर ले गया था। अगली सांस में, उसने कहा कि अभियुक्त मोतीराम ने उसे धमकाया था, उसके बाद उसकी मां को खेत में ले जाया गया और वह रात में घर लौटी। प्रति–परीक्षण की कण्डिका–10 में उसने उपरोक्त का जोरदार खंडन करते हुए कहा कि कोंदी पांच मिनट के भीतर लौट आई और वह उसके साथ घर लौट आया। उसने सिरपति अ.स–1 को बताया था कि उसकी मां को हरिरम ने पकड़ा और दूर ले गया था। दमरू अस–2 ने कहीं भी यह खुलासा नहीं किया कि उसने अभियुक्त–अपीलार्थियों द्वारा किए गए यौन संबंध को देखा था। कण्डिका–7 में, उसने इनकार किया है कि धमकाने पर वह सड़क पर भाग गया था और जोर देकर कहा कि वह रो रहा था और घटना स्थल पर खड़ा था। प्रति–परीक्षण की कण्डिका–9 में, उसने कहा है कि चूंकि उसने अपनी मां को नहीं देखा था, वह रो रहा था और जब उसकी मां कोंदी बाई 5 मिनट बाद आई, तो वह उसके साथ घर लौट आया। किसी भी कल्पना से, दमरू अ.स–2 का साक्ष्य इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि कोंदी बाई के साथ किसी अपीलार्थी द्वारा लैंगिक संभोग किया गया था। इसलिए सिरपति अ.स–1 की गवाही विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. धनिरम अस–5 ने भी कहा है कि कोंदी ने अपने बाल पकड़कर हावभाव किया था और दोनों अभियुक्त–अपीलार्थियों की ओर इशारा किया था। त्रिनाथ अ.स–4 ने कहा है कि कोंदी ने केवल दोनों अभियुक्त–अपीलार्थियों की ओर इशारा किया था और हावभाव किया था कि उसका हाथ अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पकड़ा गया था। इस प्रकार, कोंदी ने बलात्कार को इंगित करने के लिए कोई ऐसा हावभाव नहीं किया था ।

8. मूला बाई अ.स–3 ने कहा है कि कोंदी बाई हावभाव करके उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह समझ नहीं पाई कि कोंदी बाई उसे क्या बताना चाहती थी। वह सिरपति अस–1 की पत्नी है और घटना के बाद जब कोंदी बाई दमरू के साथ लौटी थी तब वह घर पर मौजूद थी। उसने विशेष रूप से इनकार किया है कि कोंदी बाई ने उसे बताया था कि 2 व्यक्तियों ने उसे जबरन उठाया था और जब वह आम तोड़ने गई थी तो उसके साथ बलात्कार किया था। उसने आगे कहा कि कोंदी ने अभियुक्त–अपीलार्थियों की पहचान नहीं की। यह भी ध्यान देना सुसंगत है कि पुलिस थाना सिरपति अस–1 के घर से केवल 5 कि.मी. दूर होने के बावजूद, न तो मूला बाई अ.स–3 और न ही त्रिनाथ अ.स–4 या धनिरम अ.स–5 ने कोंदी बाई को कोई प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने ले गए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभियोजन साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं :–

(क) दमरू अ.स–2 जो चश्मदीद गवाह था, ने यह गवाही नहीं दी कि किसी भी अभियुक्त–अपीलार्थी ने कोंदी बाई पर बलात्कार किया था।

(ख) कोंदी बाई की गवाही कि उसे अपने शरीर पर कई चोटें लगी थीं और उनसे खून बह रहा था, डॉ. श्रीमती हीना अहमद, अ.स–10 की गवाही के अनुसार अविश्वसनीय हो जाती है।

(ग) मूला बाई अ.स–3 जो घर पर मौजूद थी और जिसे कोंदी बाई ने कुछ हावभाव किए थे, वह यह नहीं समझ पाई कि कोंदी के साथ बलात्कार किया गया था।

(घ) धनिरम अ.स–5 और त्रिनाथ अ.स–4 की गवाही से भी यह नहीं पता चलता कि घटना की तारीख को कोंदी ने बलात्कार को इंगित करने के लिए कोई हावभाव किया था।

(ड) सिरपति अ.स–1 की कण्डिका–2 में गवाही कि दमरू ने मोतीराम को कोंदी बाई पर बलात्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना था, अविश्वसनीय हो जाती है क्योंकि दमरू अ.स–2 ने उपरोक्त तथ्य की पुष्टि नहीं की है।

(च) कोई विधिक साक्ष्य नहीं है कि अभियोक्त्री के योनि द्वार के अंदर आंशिक भी प्रवेश हुआ था।

(छ) अभियोक्त्री की टूटी हुई चूड़ियां या फटा हुआ ब्लाउज जांच के दौरान जब्त नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. परिणामस्वरूप, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत अभियुक्त–अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में बनाए नहीं रखी जा सकती। अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और उसके तहत अधिरोपित दण्ड को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थियों को तत्काल रिहा किया जाएगा, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो। यदि जुर्माना चुकाया गया है, तो उसे अपीलार्थी को वापस कर दिया जाए ।

सही/ –

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Shaantam Patil

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur